संख्या– 417 /26–ब0प्र0–2014

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विकास विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊः दिनांकः 29 मार्च, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 से अनुदान संख्या–83 (अनुसूचित जाति सब–प्लान) एवं अनुदान संख्या–81 (ट्राईबल सब–प्लान) के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियॉ सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्तमान में अनुसूचित जाति सब–प्लान (अनुदान संख्या–83) एवं ट्राईबल सब–प्लान(अनुदान संख्या–81) के अन्तर्गत विभिन्न प्रशासकीय विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं के लिये विभागवार/सेक्टरवार परिव्यय का आवंटन, पंचवर्षीय व वार्षिक योजना की संरचना, बजट प्राविधान कराना, वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी किया जाना, परिव्यय/बजट के पुनः आवंटन/पुनर्विनियोग की स्वीकृति, योजनाओं की समीक्षा एवं व्यय के अनुश्रवण आदि कार्य राज्य योजना आयोग–1 के शासनादेश संख्या–17/2एम(4)/95–65, दिनांक 02 जुलाई, 2002 तथा सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–यू0ओ0– 459/बीस–ई–1–2002, दिनांक 26 मार्च, 2003 में की गयी व्यवस्था के अनुसार समाज कल्याण आयुक्त/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 से अनुसूचित जाति सब–प्लान एवं ट्राईबल सब–प्लान (अनुदान संख्या–83 एवं 81) के अन्तर्गत विभिन्न प्रशासकीय विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं की समस्त वित्तीय स्वीकृतियॉ समाज कल्याण विभाग की संस्तुति के उपरान्त यथावश्यकता वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करके सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा अपनी सामान्य योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियों की भॉति निर्गत किये जायेगें। प्रशासकीय विभाग यह भी सुनिश्चित करेगें कि उनके स्तर से निर्गत किये गये वित्तीय स्वीकृतियॉ विषयक शासनादेशों की प्रतियॉ अन्य के साथ–साथ तत्काल प्राथमिकता पर बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण तथा कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाएं।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–बी–1–228 /दस–2014, दिनांक 21 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

.....2/–

संख्या– 417 (1)/26–ब0प्र0–2014–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त विभागाध्याक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
10. गार्डफाइल।

आज्ञा से

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।